



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 671 राँची, मंगलवार

24 भाद्र, 1937 (श०)

15 सितम्बर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

10 सितम्बर, 2015

संख्या-1/न.प्र.नि./श.स्था.नि./हड़ताल/110/2015-3342-स्थानीय नगर निकायों में अनियमित रूप से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों द्वारा उन्हें एकमुश्त नियमित करने संबंधी मांग पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लेते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-1348, दिनांक 13 फरवरी, 2015 के द्वारा अधिसूचित झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015" की कंडिका-3(ख)(iii) में निहित प्रावधान के आलोक में योग्य कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1	निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग	-	अध्यक्ष
2	संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के सहायक नगर आयुक्त/ विशेष पदाधिकारी / कार्यपालक पदाधिकारी	-	सदस्य सचिव
3	स्थापना समिति में पूर्व से कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा मनोनित अ.ज.जा. / अ.जा. के प्रतिनिधि	-	सदस्य
4	वित्त विभाग के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून स्तर के)	-	सदस्य
5	सम्बन्धित शहरी स्थानीय निकाय के कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि	-	सदस्य

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।
